

प्रकाशित संशोधित दरें इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् प्रभावशाली होगी।

विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
बजार फीस	0.50 पैसे	1.00 रुपया

(36-बी.)

No.17.--The inhabitants of Kumbhraj to all residing within the limits of kumbhraj Nagar panchayat are hereby informed through this notice that the Nagar panchayat, Kumbhraj has decided to enhance the existing rate of Bazar fees passed kide council resolution No. 17 dated 25th, February 1995, Using the powers conferred on it under sub-section (2) of section 130 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

It is there fore Published as required under sub-section (4) of the section 130 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 that the proposed revised rates shall come in to force after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Rajpatra:--

Particulars	Existing Rate	Revised Rate
Bajarfees	0.50 paise	1.00 paise

R. B. Shrivastava,
Chief Municipal Officer.

(36-B.)

कार्यालय, उर्जैन विकास प्राधिकरण, उर्जैन
उर्जैन, दिनांक 10 अप्रैल 1995

क्र. 30/95.--मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन उर्जैन निवेश क्षेत्र के ग्राम मालनवासा, शक्करवासा, गोयलाखुर्द के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में पृष्ठ क्रमांक 1576, 1577, दिनांक 27 नवम्बर 1992 में जारी योजना पो-8190 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन तथा यथा अनुमोदित नगर विकास योजना को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए उक्त विधान की धारा 50 (7) के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस योजना में ग्राम मालनवासा, शक्करवासा एवं ग्राम गोयलाखुर्द के निम्न खसरो की भूमि समाविष्ट है:--

ग्राम मालनवासा के खसरा क्र. 116/2 अंशभाग, 124/2 अंशभाग, 157 अंशभाग, 159, 160, 161 अंशभाग, 162 अंशभाग, 163 अंशभाग, 164, 165 अंशभाग, 166 से 178 तक 179 अंशभाग, 180 अंशभाग, 202 अंशभाग, 203, अंशभाग, 204 से 262, 263 अंशभाग, 264 से 275 तक 276 अंशभाग, 281/1 अंशभाग, 282, 289/1 अंशभाग, 290 अंशभाग, 291 से 319 तक, 317/336, 173/1 337, 225/339.

ग्राम शक्करवासा के खसरा क्र.--69 अंशभाग, 70 से 76, 77 अंशभाग, 78, 79 अंशभाग, 81 अंशभाग, 81, 82/1 अंशभाग, 82/2, 83, 84 अंशभाग, 85 से 88, 89 अंशभाग, 92 अंशभाग, 93 अंशभाग, 97 अंशभाग.

ग्राम गोयलाखुर्द के खसरा क्र.--36/1 अंशभाग, 42, 44/2 अंशभाग, 58 से 73 तक, 74/1 अंशभाग, 74/2, 110 अंशभाग, 116 अंशभाग, 118, 119, 123 से 134 तक 135 अंशभाग, 136 अंशभाग, 178 अंशभाग, 179 से 185 तक 186 अंशभाग, 187 अंशभाग.

उक्त योजना की प्रतिज्ञा निम्न लिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:--

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भरतपुरी, उर्जैन.
2. आयुक्त, नगर पालिका निगम उर्जैन.
3. उर्जैन विकास प्राधिकरण, उर्जैन.

उक्त पो-8190 योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली मानी जावेगी.

(38-बी.)

Dated 10 April 1995

No.30/95.--The Town development Scheme for the development of P-8/90 Scheme published in Madhya Pradesh Rajpatra part-3 (1) page 1576-1577 dated 27 November 1992 under Section (3) of Section 50 of town and country planing Act, 1973 (No. 23 of 1973) and as approved under sub-section (4) of Section 50 of the town country planing Act, 1973 is hereby published for the information of the general public under sub-section (7) of Section 50 of the said act bearing following Survey Nos. of Gram Malanwasa, Shakkarwasa and Goyala-khurd:--

Gram Malanwasa survey Nos-- 116/2 part, 124/2 part-157 part, 159,160, 161 part, 162 part, 163 part, 164, 165 part, 166 to 178, 179 part, 180 part, 202